न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम
प्रकरण संख्या 09/2024(GCMS: 2024/18)

सरकार जरिये थानाधिकारी, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **संतोष कुमार** पुत्र भागीरथ निवासी चक 6 ई छोटी नेहरानगर, श्रीगंगानगर
2. **अशोक कुमार** पुत्र हंसराज निवासी चक 6 ई छोटी नेहरानगर, श्रीगंगानगर

03.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संतोष कुमार एवं अशोक कुमार के अधिवक्ता श्री नीरज सोनी एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के संक्षिप्त इस प्रकार है कि :

स्टेट की ओर से श्री प्रशांत कौशिक, आरपीएस वृत्ताधिकारी, शहर, श्रीगंगानगर, ओमदत्त, एचसी 2372, पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, चरणसिंह कानि 560,पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान एफएसटी टीम नम्बर 04 विधानसभा क्षेत्र, श्रीगंगानगर के प्रभारी श्री कालूराम, सहायक आचार्य, गोर्वेमेन्ट कॉलेज, श्रीगंगानगर मय सरजीत सिंह सउनि मय पुलिस जाब्ता ने साधुवाली पंजाब बॉर्डर पर चैकिंग के दौरान एक टैम्पू (श्रीव्हील) नम्बर आरजे 07 पीए 5791 के चालक संतोष कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति साहू उम्र 30 साल निवासी चक 6 ई छोटी, नेहरानगर के कब्जे से टैम्पू में 11 प्लास्टिक जरीकन में संतोष कुमार ने उक्त पैट्रोल व डीजल अशोक कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी 6 ई छोटी, नेहरानगर, श्रीगंगानगर का होना बताया तथा पंजाब से खरीद कर लाना बताया तथा डीजल व पेट्रोल का कोई बिल नहीं होना बताया, जिस पर एफएसटी टीम द्वारा डीजल व पेट्रोल मय टैम्पू को जब्त कर पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर परिसर में खड़ा करवाया गया। उक्त जब्तशुदा पैट्रोल व डीजल के सम्बन्ध में उचित विधिक कार्यवाही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 6441 दिनांक 16.11.2023 से जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पत्र भिजवाया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2(2)खा.वि.स्था.मु. / 2019 जयपुर दिनांक 10.10.2023 तथा Petrolium Products-aintenance of Production –Storage and Supply-Order, 1999 के बिन्दु 9 का हवाला देते हुए पत्र क्रमांक 3485 दिनांक 17.11.2023 में अंकित किया कि उक्त टैम्पू में जब्तशुदा पेट्रोल व डीजल के निस्तारण के सम्बन्ध में उक्त परिपत्रों के अनुसार सम्बन्धित पुलिस उप अधीक्षक से आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, जिस सम्बन्ध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहर नगर द्वारा पुलिस उप अधीक्षक, प्रशांत कौशिक वृत्ताधिकारी, शहर, श्रीगंगानगर को विधिक कार्यवही हेतु अवगत करवाया गया। जिस पर दिनांक 17.11.2023 को उक्त 10.:00 पीएम पर आरपीएस प्रशांत कौशिक, पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर पहुंच एफएसटी द्वारा जब्त किये गये पेट्रोल व डीजल का निरीक्षण किया गया तो टैम्पू में 60 लीटर के 11 जरिकनों में 640 लीटर पैट्रोल भरा हुआ तथा 35 लीटर के दो व 20 लीटर के दो कुल चार जरिकनों में 110 लीटर डीजल भरा हुआ है, जिस सम्बन्ध में संतोष कुमार द्वारा कोई बिल वाऊचर पेश नहीं किया गया तथा उक्त पेट्रोल अशोक कुमार का होना बताया है। संतोष कुमार तथा अशोक कुमार द्वारा मिलकर अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल की तस्करी करना जुर्म धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होने पर उक्त पेट्रोल व डीजल के सै[illegible] उक्त पैट्रोल डीजल को जैर सवारी प्रयोग किये जा [illegible] 5791 को भी बतौर वजह सबूत जरिये फर्द हाजा [illegible] गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जब्तशुदा वाहन टैम्पों आरजे 07 पीए 5791 का स्वामित्व श्रीमती हेमा देवी धर्मपत्नी श्री भगवान उर्फ भागीरथ जाति साहू उम्र 55 साल निवासी गली

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नम्बर 01, बालाजी मंदिर के सामने, 6 ई छोटी नेहरानगर पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर के नाम रजिस्टर्ड होना पाया गया।

प्रकरण में अभियुक्तगत संतोष कुमार एवं अशोक कुमार गिरफ्तारी पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर राजस्थान द्वारा रोक लगाई गई है।

प्रकरण में अभियुक्तगण संतोष कुमार व अशोक कुमार से petrolium products (maintenance of production storage & supply) order 1999 के उपबिन्दु 2(1) के अनुसार retail sale of petrolium products not exceeding 2500 litrs to any one custmor at a time व बिन्दु 9 power of entry search and seizure तथा पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण– पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत श्रेणी के तहत 30 लीटर से अधिक पेट्रोल के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा motor spirit & high speed diesel (regulation of supply distrinution & prevention of malpracties) ऑर्डर 2005 के बिन्दु संख्या 7 के उपबिन्दु 01 अनुसार order gazetted officer of the central government or a state government of any police office officer not below the rank of deputy superientendent of police duty authorise के तहत नियमानुसार एक टैम्पू मय 11 जरिकेन में 640 लीटर पेट्रोल व चार जरिकेन में 110 लीटर डीजल को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज सोनी ने अपनी बहस कथन किया था कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा झूठा हस्तगासा पेश किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय जंगीर सिंह एवं अन्य बनाम राज. उच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 2... के तहत जिला रसद अधिकारी, अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी, ... अथवा कार्यपालक दण्डनायक सर्च एचं सीजर करने के लिए अधिकृत है... किन उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही व मौका पर जब्ती आदि ओमदत्त एचसी द्वारा की गई है उसके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 17.11.2023 को वाहन पकड़ा गया व वाहन को 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया था उसके बाद दिनांक 18.11.2023 को एफआईआर दर्ज की गई व झूठी रिपोर्ट व जब्ती आदि मौका पर ना ही जाकर थाना में बैठकर तैयार की गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण में जब्तशुदा पैट्रोलियम पदार्थ प्रार्थीगण का नहीं है ना ही प्रार्थीगण के द्वारा खरीद किया हुआ पाया गया है। प्रार्थीगण के वाहन को दिनांक 17.11.2023 को साधुवाली चैक पोस्ट पर अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट के तहत सीज किया गया था, उसके बाद वाहन को पुलिस थाना जवाहर नगर,श्रीगंगानगर लाया गया, फिर दिनांक 18.11.2023 को झूठी कहानी बनाकर प्रकरण दर्ज किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि एफआईआर बाद में अगले दिन थाना में खड़े वाहन के सम्बन्ध में दर्ज की गई मौका पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही प्रार्थी से कोई बदामदगी हुई है जो बरामदगी या जब्ती दिखाई गई है वह फर्जी है, मौका पर कार्यवाही ना की जाकर बाद में कहानी बनानी गई है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण गरीब परिवार से आते है मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है केवल मात्र उपरोक्त वाहन से गुजारा हो रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा पहली बार पेट्रोल एवं डीजल अपने टैम्पू में लाया जा रहा था, जिस हेतु उन्हें तीन सौ रूपये दिये गये था। उन्हें इस बात की [illegible] से पेट्रोल/डीजल लाना किसी अपराध की श्रेणी में आता है [illegible] प्रथम बार किये गये अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि थाना में ज्यादा समय वाहन खड़ा रहने से उसके खराब होने की पूरी आशंका है, जिससे प्रार्थीगण को ना पूरा होने

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वाला नुकसान होगा। सुंदरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए.आई. आर 2003 एस.सी. पेज 638 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सम्मानित अभिमत व्यक्त किया है कि जब्तशुदा सम्पत्ति के शीघ्र एवं न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आदेश पारित किया जाना चाहिए तथा बिना किसी उचित कारण के प्ररकण में जब्तशुदा वाहन को पुलिस थाना में लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण को खारिज किया जावे व जब्तशुदा वाहन को रिलीज करने का आदेश दिया जावे।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता का कथन था कि अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन कि दिनांक 17.11.2023 को वाहन पकड़ा गया था व उसके बाद दिनांक 18.11.2023 को झूठी रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थीगण को फंसाया जा रहा है, सही नहीं है क्योंकि हस्तगत प्रकरण की समस्त कार्यवाही आरपीएस वृत्ताधिकारी शहर, श्रीगंगानगर मय स्टाफ द्वारा की गई है। विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को तलाशी और अभ्रिगण की शक्तियां प्रदान की गई है। इसलिए अप्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन कि समस्त अप्रार्थी को फंसाया जा रहा है, सही नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी ने स्वयं ने अपनी बहस में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा पहली बार पेट्रोल एवं डीजल अपने टैम्पू में लाया जा रहा था, जिस हेतु उन्हें तीन सौ रूपये दिये गये था। उन्होनें ने यह भी कथन किया है कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि पंजाब से पेट्रोल/डीजल लाना किसी अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए उनके द्वारा प्रथम बार किये गये अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। इसलिए भी अप्रार्थीगण से जब्तशुदा 640 लीटर पेट्रोल एवं 110 लीटर डीजल मय टैम्पो आरजे 07 पीए 5791 राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि विलायक, रेफिनेंट और स्लॉप आदेश 2000 के अनुसार सभी पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। **वर्ग "क" का भण्डार 30 लीटर तक बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है** जबकि अप्रार्थी से 640 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। इसलिए भी अप्राथी से जब्त किया गया 640 लीटर पेट्रोल एवं 110 लीटर डीजल मय टैम्पों आरजे 07 पीए 5791 जब्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थीगण के पास भण्डारण/विक्रय/परिवहन का भी कोई अनुज्ञप्ति पेश नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि उक्त अप्रार्थीगण के पास भी भण्डारण/विक्रय/परिवहन की कोई अनुज्ञप्ति हो। ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के पास उपलब्ध होता तो वे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करते।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा विलायक, रेफिनेट और स्लॉप आदेश 2005 **की** स्पष्ट उल्लंघन की है। इसलिए अप्रार्थीगण से जब्तशुदा एक टैम्पू मय 11 जरिकेन में 640 लीटर पेट्रोल व चार जरिकेन में 110 लीटर डीजल को राजसात किया **जावे।**

मैने, राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण अशोक कुमार एवं संतोष कुमार के अधिवक्ता श्री नीरज सोनी द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं लिखित जवाब पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान दिनांक 16.11.2023 को एफएसटी टीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नम्बर 04 विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के प्रभारी श्री कलूराम सहायक आवार्च, गोर्वेमेन्ट कॉलेज, श्रीगंगानगर मय सरजीत सिंह सउनि मय पुलिस जाब्ता ने साधुवाली पंजाब बॉर्डर पर चैकिंग के दौरान एक टैम्पू (श्रीव्हील) नम्बर आरजे 07 पीए 5791 के चालक संतोष कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति साहू उम्र 30 साल निवासी चक 6 ई छोटी, नेहरानगर के कब्जे से टैम्पू में 11 प्लास्टिक जरीकन में संतोष कुमार ने उक्त पैट्रोल व डीजल अशोक कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी 6 ई छोटी, नेहरानगर, श्रीगंगानगर का होना बताया तथा पंजाब से खरीद कर लाना बताया तथा डीजल व पेट्रोल का कोई बिल नहीं होना बताया, जिस पर एफएसटी टीम द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल मय टैम्पू को जब्त कर पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर परिसर में खड़ा करवाया गया। उक्त जब्तशुदा पैट्रोल व डीजल के सम्बन्ध में उचित विधिक कार्यवाही हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा पत्रांक 6441 दिनांक 16.11.2023 से जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पत्र भिजवाया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 2(2)खा.वि.स्था.मु. / 2019 जयपुर दिनांक 10.10.2023 तथा Petrolium Products-aintenance of Production –Storage and Supply-Order, 1999 के बिन्दु 9 का हवाला देते हुए पत्र क्रमांक 3485 दिनांक 17.11.2023 में अंकित किया कि उक्त टैम्पू में जब्तशुदा पेट्रोल व डीजल के निस्तारण के सम्बन्ध में उक्त परिपत्रों के अनुसार सम्बन्धित पुलिस उप अधीक्षक से आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, जिस सम्बन्ध में थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहर नगर द्वारा पुलिस उप अधीक्षक, प्रशांत कौशिक वृत्ताधिकारी, शहर श्रीगंगानगर को विधिक कार्यवही हेतु अवगत करवाया गया। जिस पर दिनांक 17.11.2023 को उक्त 10.:00 पीएम पर आरपीएस प्रशांत कौशिक, पुलिस थाना, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर पहुंच एफएसटी द्वारा जब्त किये गये पेट्रोल व डीजल का निरीक्षण किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तो टैम्पू में 60 लीटर के 11 जरिकनों में 640 लीटर पैट्रोल भरा हुआ तथा 35 लीटर के दो व 20 लीटर के दो कुल चार जरिकनों में 110 लीटर डीजल भरा हुआ है, जिस सम्बन्ध में संतोष कुमार द्वारा कोई बिल वाऊचर पेश नहीं किया गया तथा उक्त पेट्रोल अशोक कुमार का होना बताया है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जब्तशुदा वाहन टैम्पों आरजे 07 पीए 5791 का स्वामित्व श्रीमती हेमा देवी धर्मपत्नी श्री भगवान उर्फ भागीरथ जाति साहू उम्र 55 साल निवासी गली नम्बर 01, बालाजी मंदिर के सामने, 6 ई छोटी नेहरानगर पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर के नाम रजिस्टर्ड होना पाया गया।

प्रकरण में अभियुक्तगण संतोष कुमार व अशोक कुमार से petrolium products (maintenance of production storage & supply) order 1999 के उपबिन्दु 2(1) के अनुसार retail sale of petrolium products not exceeding 2500 litrs to any one custmor at a time व बिन्दु 9 power of entry search and seizure तथा पेट्रोलियम उत्पादों का वर्गीकरण– पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत श्रेणी के तहत 30 लीटर से अधिक पेट्रोल के सम्बन्ध में कार्यवाही तथा motor spirit & high speed diesel (regulation of supply distrinution & prevention of malpracties) ऑर्डर 2005 के बिन्दु संख्या 7 के उपबिन्दु 01 अनुसार order gazetted officer of the central government or a state government of any police office officer not below the rank of deputy superientendent of police duty authorise के तहत नियमानुसार एक टैम्पू मय 11 जरिकेन में 640 लीटर पेट्रोल व चार जरिकेन में 110 लीटर डीजल को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन** किये गये **किसी** ऐसे आदेश **का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अशोक कुमार एवं संतोष कुमार के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एवं मौखिक बहस में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही एवं मौका पर जब्ती आदि ओमदत्त एचसी द्वारा की गई है, जबकि **राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान एफएसटी टीम नम्बर 04, विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर** के प्रभारी श्री कालूराम मय पुलिस जाब्ता ने साधुवाली पंजाब बोर्डर पर चैंकिंग के दौरान अप्रार्थीगण टैम्पू नम्बर आरजे 07 पीए 5791 में 11 जरीकेन में 640 लीटर पेट्रोल व चार जरिकेन में 110 लीटर डीजल जब्त किया गया है और समस्त कार्यवाही श्री प्रशांत कौशिक, आरपीएस, वृत्ताधिकारी वृत्त शहर, श्रीगंगानगर कैम्प पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा की गई है, इसलिए अप्रार्थीगण का यह कथन कि समस्त कार्यवाही हैड कानि. के द्वारा की गई है, सही नहीं है।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थीगण अशोक कुमार एवं संतोष कुमार से वाहन टैम्पों आरजे 07 पीए 5791 में 11 जरिकेन में 640 लीटर पैट्रोल व चार जरिकेन में 110 लीटर डीजल जब्त किया गया है और अप्रार्थीगण ने समस्त कार्यवाही को [illegible] बताकर अपने उक्त जब्तशुदा वाहन टैम्पों आरजे 07 पीए 57[illegible] को [illegible] करने की प्रार्थना की है। उनके द्वारा उक्त जब्तशुदा 640 लीटर [illegible] व चार जरिकेन में 110 लीटर डीजल के क्रय करने के बिल पेश [illegible] किये गये है। जिसे क्रय/

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अशोक कुमार एवं संतोष कुमार द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **12(1) ....**
>
> **12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

इस प्रकार **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थीगण से [illegible] लीटर पेट्रोल व 110 लीटर डीजल जब्त किया गया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए समस्त कार्यवाही को झूठा बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होते है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से उसके वाहन में निर्धारित सीमा 30 लीटर पेट्रोल से अधिक पेट्रोल 640 लीटर पेट्रोल प्राप्त हुआ है तथा इसके साथ ही 110 लीटर डीजल भी प्राप्त हुआ है। **चूंकि अप्रार्थी अशोक कुमार एवं संतोष कुमार के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है।** इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 **के तहत जारी 1. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।**

अप्रार्थीगण ने उक्त डीजल एवं पेट्रोल **क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही** किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

> विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध [illegible]
>
> (12) पत्रांक : पी—3/जयपुर दिनांक [illegible].06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जि[illegible] रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex
बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम की सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्नेहक (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा 640 लीटर पेट्रोल एवं 110 लीटर डीजल जब्त किया गया हैं। इसलिए उक्त अप्रार्थीण से जब्तशुदा उक्त वाहन टैम्पों संख्या **RJ-07-PA-5791** मय 640 लीटर पेट्रोल व 110 लीटर डीजल के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः **उपरोक्त विवेचन के आधार** पर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955** के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 110 लीटर डीजल व 640 लीटर पेट्रोल एवं **एक टैम्पों संख्या RJ-07-PA-5791 भी राजसात किये जाते है।**

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन **डीजल व पैट्रोल** के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 311 दिनांक 03.04.2024 के अनुसार जब्तशुदा के वाहन संख्या **RJ-07-PA-5791** का अनुमानित **बाजार भाव 40,000/— रूपये है। इसलिए वाहन पर 40,000/— रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो** थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर **उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुपुर्द कर दें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. क्रिमिनल पैटीशन संख्या 100/2022 अनवान् कनकश्री कैमिकल्स बनाम स्टेट में निर्णय दिनांक 13.12.2022 से राशि 3.20 लाख रूपये जमा करवाने पर ही राजसात किये गये वाहन को लौटाने के आदेश दिये है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त दोनों निर्णयों के प्रकाश में वाहन के सम्बन्ध में लगाई गई जुर्माना राशि जमा करवाने पर ही लौटाया जा सकता है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 110 लीटर डीजल व 640 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 110 लीटर डीजल व 640 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए थानाधिकारी, पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई कर[illegible]ए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), [illegible]य कर, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखे। **अतः वाहन रिलिज करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग का कोई राज्य सरकार का राजस्व देय बनता है तो सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने पर ही वाहन रिलिज करना सुनिश्चित करें।**

चूंकि उक्त प्रकरण में 110 लीटर डीजल व 640 लीटर पेट्रोल **एवं उक्त वाहन संख्या RJ-07-PA-5791 राजसात करने के आदेश दिये गये है।** माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार जब्त वाहन के बाज़ार मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-07-PA-5791 का बाजार मूल्य 40,000/— रूपये है। इसलिए उक्त वाहन संख्या RJ-07-PA-5791 पर 40,000/— रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये जाते है।** राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखा जावे। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:19 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर